31/8/22 उभयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली में बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम चक 22 एच.एम.एच. के खाता संख्या 73/59 की 4.301 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पिता हिस्सा स्व0 गिरधारी का 1/4 हिस्सा यानि 1.075 हैक्टेयर बनता है इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्ध किया जाना न्यायोचित है कि दावा के अंतिम निर्णय तक चक 22 एच.एम.एच. के खाता संख्या 73/59 की 4.301 हैक्टेयर में से 1.075 हैक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष भूमि बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्ध किया जावे कि वे प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी के हक व हिस्सा तक रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें तथा प्रश्नगत भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग को अन्तरित करने से निषिद्व रहें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाये।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि गोपीराम को अपने पिता प्राप्त होना स्वीकार है जिसमें से अप्रार्थी गोपीराम ने कर्ताखानदान की हैसियत से संयुक्त परिवार की आवश्यकताओं तथा प्रार्थी की दादी का इलाल व बैंक ऋण चुकता करने के लिये बेचान की है तथा अब जो जमीन अप्रार्थी के नाम उसमें प्रार्थी का कानूनन के मुताबिक जो भी हक व हिस्सा बनता है वह देने के लिये तैयार है लेकिन प्रार्थी बेचान की हुई भूमि शामिल करते हुये अप्रार्थी के नाम की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं देना चाहता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जानी न्यायहित में आवश्यक है कि तामैसला दावा अप्रार्थीगण दावा के अंतिम निर्णय तक चक 22 एच.एम. एच. के खाता संख्या 73/59 की 4.301 हैक्टेयर भूमि में से 1.075 हैक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम के नाम दर्ज है, को रहन बैय एवं बैय से अन्तरित करने से अप्रार्थी संख्या 1 को मुक्त किया जाता है तथा साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग को अन्तरित करने से निषिद्व किया जाता हैं। पत्रावली फैसला शुमार हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़